सं. ए-32012/04/2020-प्रशा-IV(वि. का.)(ii) भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय <u>विधि कार्य विभाग</u>

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक 21 दिसंबर, 2023

कार्यालय आदेश सं. 243/2023

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 110/2023 (सम संख्या फाइल) दिनांक 09.06.2023 के अधिक्रमण में, सीएसएसएस/सीएससीएस काडर से संबंधित समूह 'ख'/समूह 'ग' के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थायीकरण और निर्धारित वेतन मैट्रिक्स में अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड प्रदान करने के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(i)	श्री उमाशंकर ठाकुर, निदेशक	अध्यक्ष
	विधि कार्य विभाग	
(ii)	श्री वरुण सिंह चौहान, अवर सचिव,	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(iii)	श्री संजय कुमार गौतम, सहायक विधायी	सदस्य
	कॉउन्सेल, विधायी विभाग	
(iv)	श्री ज्योति स्वरूप अस्थाना, अवर सचिव,	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(v)	सुश्री श्वेता जायसवाल, सहायक विधि सलाहकार,	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	

- 2. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- 3. इसे विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सं. ए-32012/04/2020-प्रशा-IV(वि. का.)(iii) भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय <u>विधि कार्य विभाग</u>

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक 21 दिसंबर, 2023

कार्यालय आदेश सं. 244/2023

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 111/2023 (सम संख्या फाइल) दिनांक 09.06.2023 के अधिक्रमण में, सीएसएसएस/सीएससीएस संवर्गों से संबंधित समूह 'ग' पदों के संबंध में आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नित योजना (एसीपीएस)/आशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नित योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए छानबीन समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(i)	श्री उमाशंकर ठाकुर, निदेशक	अध्यक्ष
	विधि कार्य विभाग	
(ii)	श्री ज्योति स्वरूप अस्थाना, अवर सचिव,	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(iii)	श्री भूपेंद्र सिंह बिष्ट, अवर सचिव,	सदस्य
	विधायी विभाग	

- 2. विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- 3. इसे विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सं. ए-32012/04/2020-प्रशा-IV(वि. का.)(i) भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय <u>विधि कार्य विभाग</u>

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक 27 फरवरी, 2024

कार्यालय आदेश सं. 36/2024

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 13/2024 (सम संख्या फाइल) दिनांक 15.01.2024 के अधिक्रमण में, सीएसएस काडर (अनुभाग अधिकारी, सहायक अनुभाग अधिकारी) से संबंधित समूह 'ख' पदों के संबंध में पदोन्नति/स्थायीकरण और अप्रकार्यात्मक चयन ग्रेड प्रदान करने के लिए अधिकारियों के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(i)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव एंव विधि सलाहकार	अध्यक्ष
	[प्रशा ।∨(वि. का.)]	
	विधि कार्य विभाग	
(ii)	श्री हंस राज मीना, उप सचिव	सदस्य
	विधायी विभाग	
(iii)	श्री एस.के. मक्कड़, उप सचिव,	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(iv)	श्री नीरज रावत, उप विधि सलाहकार	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(v)	श्री ज्योति स्वरूप अस्थाना, अवर सचिव	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(vi)	सुश्री श्वेता जायसवाल, सहायक विधि सलाहकार(एएलए)	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(VI)	3	सदस्य

- 2. विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- 3. इसे विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सं. ए-32012/04/2020-प्रशा-IV(वि. का.)(ii) भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय <u>विधि कार्य विभाग</u>

शास्त्री भवन, नई दिल्ली दिनांक 27 फरवरी, 2024

कार्यालय आदेश सं. 37/2024

इस विभाग के कार्यालय आदेश संख्या 70/2023 (सम संख्यक फाइल) दिनांक 29.03.2023 के अधिक्रमण में, सीएसएस/सीएसएसएस/सीएसओएलएस/जीसीएस काडर से संबंधित समूह 'क'/ समूह 'ख' पदों के संबंध में आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नित योजना (एसीपीएस)/आशोधित आश्वस्त वृत्ति प्रोन्नित योजना (एमएसीपीएस) के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए छानबीन समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(i)	अपर सचिव/संयुक्त सचिव एंव विधि सलाहकार	अध्यक्ष
	[प्रशा ।८(वि. का.)]	
	विधि कार्य विभाग	
(ii)	श्री उमाशंकर ठाकुर, निदेशक	सदस्य
	विधि कार्य विभाग	
(iii)	श्री हंस राज मीना, उप सचिव	सदस्य
	विधायी विभाग	

- 2. विभागीय पदोन्नित समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।
- 3. इसे विधि सचिव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।